

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (पॉलिसी) आकाशि/अनु/09/189

दिनांक:- 3/3/2011

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2011-12 के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में सशर्त अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है-

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम व पता	संबंधित महाविद्यालय का नाम	विषय संकाय (नवीन विषय केवल स्नातक स्तर पर)
1	विनायक गर्ल्स कॉलेज चौंमु जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकास एवं नवीन विषय संकाय-वाणिज्य (एबीएसटी, ईएफएम, बिजनेस एड0.)
2	गुडा बालिका महाविद्यालय, गुडागौडजी, झुझुनु	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय
3	श्री बाकें बिहारी महाविद्यालय, धौलपुर रोड, राजाखेडा- धौलपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय
4	रामचन्द्र गोयनका डिग्री कॉलेज, झण्डलोद, झुझुनु	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय
5	आर्च एकेडमी ऑफ फैशन आर्ट एण्ड डिजाइन, 9, गोविंद मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय एवं नवीन विषय संकाय बीवीए
6	एक्सीलेंस गर्ल्स कॉलेज, सालासर रोड, नेहरू पार्क के सामने, सीकर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकास एवं नवीन विषय संकाय-बीएससी बाॅयलॉजी,
7	न्यु लूक गर्ल्स कॉलेज, लोधा केम्पस, बाॅसवाडा	मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय
8	नाथद्वारा इस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट उपपली ओडन, नाथद्वारा जिला राजसमन्द	मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकास एवं नवीन विषय संकाय-बीएससी मैथैमेटिक्स यूजी डीप्लोमा टेक्स्टाईल डिजाईनिंग, कैपीटल मार्केट, फाईनेसियल मार्केट, अंग्रेजी भाषा
9	अरावली महाविद्यालय, कस्टम चौराहा, दाहोद रोड, वन विभाग के सामने, बाॅसवाडा	मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकास एवं नवीन विषय संकाय-बीएससी-केमेस्ट्री, बायोलॉजी बीए-चित्रकला, सोसियोलॉजी, हिस्ट्री, संस्कृत, अंग्रेजी सा0, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशा0
10	एल.बी.एस महाविद्यालय, देवगढ दरवाजा, प्रतापगढ	मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकास एवं नवीन विषय संकाय-माईको बाॅयलॉजी, अर्थशास्त्र
11	एमिनेन्ट एकेडमीक गर्ल्स कॉलेज, जयपुर रोड, डिग्गी मालपुरा, टोंक	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय
12	भगवान महावीर कॉलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, 41 हीरा नगर, गांपोलपुरा बाईपास, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय
13	सन्त श्री प्राणनाथ परनामी पी.जी. महाविद्यालय, जैतसर रोड, पदनपुर, श्रीगंगानगर	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय एवं नवीन विषय संकाय-कला (कम्प्युटर एप्लीकेशन), बीएससी
14	श्री खेतेश्वर महाविद्यालय, भगवान महावीर नगर, नान्दडी, बनाड रोड जिला जोधपुर	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	पूर्व आवंटित विषय/संकास एवं नवीन विषय संकाय-बीएससी- आईटी, सीएस, मैथ, बीकॉम (एबीएसटी, ईएफएम, बिजनेस एड0), बीए- (हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, गणित, कम्प्यूटर एप्ली0, भूगोल, दर्शन शास्त्र, लोकप्रशासन)
15	ग्लोबल पी.जी. कॉलेज, सुल्ताना, तहसील, चिडावा जिला झुझुनु	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय
16	मा0 बलवीर सिंह महाविद्यालय, अस्तावन, कुम्हेर- भरतपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय
17	श्री ग्लोबल महाविद्यालय, राजगढ, जिला चुरू	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	पूर्व आवंटित विषय/संकास एवं नवीन विषय संकाय-कम्प्युटर, संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य, मिल्ट्रीसाइन्स, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र
18	गार्गी महिला महाविद्यालय, प्रताप	राजस्थान विश्वविद्यालय	पूर्व आवंटित विषय/संकास एवं नवीन विषय

सत्र 2012-13 में निर्धारित अवधि में आवेदन करते समय निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य है:-

1. अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर तीन वर्ष से अधिक समय से संचालित हो रहे महाविद्यालय को अनिवार्य रूप से सत्र 2012-13 में स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन निर्धारित अवधि में मय निर्धारित प्रपत्र व निर्धारित शुल्क सहित करना होगा ।
2. स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु मानदण्ड :-

अ. मानदण्डानुसार संस्था के नाम स्वयं की भूमि-भवन के पंजीकृत दस्तावेज ।
ब. यूजीसी योग्यताधारी स्थायी शैक्षणिक स्टॉफ पर संबंधित विश्वविद्यालय का अनुमोदन पत्र ।
स. स्टॉफ को बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान का प्रमाण पत्र ।
द. समस्त स्टॉफ का पीएफ कटौती पत्र
य. समुचित छात्र सुविधाओं की व्यवस्था ।
उक्त शर्तों की पूर्ति के बिना किया गया आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है ।

3. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी.सी.आई. से मान्यता व विश्वविद्यालय से सम्बद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी ।
4. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।
5. संस्था राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये सभी आदेशों/निर्देशों की पालना करेगी ।
6. संस्था द्वारा सूचना का अधिकार के अन्तर्गत आवेदक को आवश्यक रूप से सूचना उपलब्ध करानी होगी ।
7. संस्था नजदीकी राजकीय पीजी महाविद्यालय सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में अनिवार्यतः जमा करायेगी ।
8. मापदण्डों की अधिक जानकारी हेतु विभाग की वेबसाइट www.collegeeducation.rajasthan.gov.in का अवलोकन करें ।

निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
4. जिला कलेक्टर,
जयपुर/झुन्झुनू/धौलपुर/सीकर/बांसवाड़ा/राजसमंद/प्रतापगढ़/टोक/श्रीगंगानगर/जोधपुर/भरतपुर/चु
रू/अलवर/दौसा ।
5. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. कुल सचिव, -राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/एमडीएस विश्वविद्यालय, अजमेर/महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर/एमएलएस विश्वविद्यालय उदयपुर ।
7. सचिव, सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय
8. सांख्यिकी शाखा, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
9. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त-निदेशक (अनुदान)